

केदार राजकीय/सर्व
हु नियुक्त सचिव

न्यायालय सुनील भाटी, R.A.S, अतिरिक्त कलक्टर, (द्वितीय)
जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 47/2011

सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील फागी, जिला-जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामजीवण, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
2. मन्ना पुत्र रामजीवण, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
3. भंवर पुत्र स्व० श्री गोपाल, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
4. बनवारी पुत्र स्व० श्री गोपाल, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
5. मन्नी पत्नी स्व० श्री गोपाल, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
6. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
7. दामोदर पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
8. किशन पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर (मृतक)।
- 8/1 मोहनी देवी पत्नी स्व० श्री किशन, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
- 8/2 माया पुत्री स्व० श्री किशन, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
- 8/3 सोनम पुत्री स्व० श्री किशन, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
- 8/4 मोहित पुत्र स्व० श्री किशन, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
9. शंकर पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
10. पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवल किशोरपुरा, जिला-जयपुर।
11. कलाश पुत्र स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
12. मन्नी पत्नी स्व० श्री नारायण, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।



(Handwritten signature)

सत्य-प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)

13. लालू पुत्र गुटीया, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
14. भोमा पुत्र गुटीया, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
15. लाला पुत्र गुटीया, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।
16. रमेशचन्द पुत्र गुटीया, जाति-अहीर, निवासी-नवलकिशोरपुरा, जिला-जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955)

उपस्थिति:-

1. श्री विजय चाहर, राजकीय अभिभाषक।
2. अप्रार्थीगण असालतन/वकालतन अनुपस्थित अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

निर्णय

दिनांक : 30.10.2017

तहसीलदार, फागी द्वारा निवेदन किया गया है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम गोहन्दी की आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 16 बीधा 3 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 16 बीधा 3 बिस्वा में से 11 बिस्वा आराजी रामजीवण पुत्र श्री रामचन्द्र, जाति-अहीर, निवासी-गोहन्दी के हक में दिनांक 10.8.1965 को नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-232 रामजीवण के नाम खातेदारी दर्ज की गई हैं जो अब अप्रार्थीगण के नाम नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 में आराजी ख0नं0 330/2 रकबा 11 बिस्वा दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकीन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 232 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के



(Signature)

सत्य - प्रतिलिपि

3

अति. कलकत्ठा (द्वितीय)
जयपुर

निर्देश दिए गए हैं। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक बिना लगानी गैर-मुमकीन नला दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 में ग्राम गोहन्दी की आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 16 बीधा 3 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, जिसमें से 11 बिस्वा रामजीवण पुत्र श्री रामचन्द्र जाति-अहीर के हक में नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-232 रामजीवण के नाम खातेदारी दर्ज हैं, आवंटी रामजीवण के पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 में आराजी खं0नं0 330/2 रकबा 11 बिस्वा दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी खं0नं0 330 रकबा 16 बीधा 3 बिस्वा में से 11 बिस्वा वाके ग्राम गोहन्दी रामजीवण पुत्र रामचन्द्र को नियमन/आवंटन किया गया है। जिसका उल्लेख नामान्तरकरण सं0-232 के कॉलम सं0-14 पर हैं, नियमों के विपरीत अवैध रूप से नियमित/आवंटित की गई है। जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2011-2030 में यह आराजी गैर-मुमकिन नला दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होंगे। नियमन/आवंटन दिनांक को राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ नियमन/आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकिन नला की आराजी को नियमन/आवंटन किया गया है जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध आवंटन के पश्चात् आवंटी के हक में राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में आवंटन एवं आवंटन



सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलकत्ता (द्वितीय)

राजकीय /
निधुल

विपरिणामस्वरूप राजस्व अभिलेखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध में समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे। अप्रार्थीगण बावजूद तामील असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहे अतः अनुपस्थिति की दशा में इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने विद्वान् राजकीय अभिभाषक श्री विजय चाहर की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2011-2030 ग्राम गोहन्दी की आराजी खसरा नम्बर 330 रकबा 16 बीधा 3 बिस्वा सिवायचक बिना लगानी किस्म जमीन गैर-मुमकिन नला दर्ज है, इसके पश्चात् आराजी ख0नं0 330 रकबा 11 बिस्वा रामजीवण पुत्र श्री रामचन्द्र जाति-अहीर के हक में नियमन/आवंटन होने से जरिये नामान्तरकरण संख्या-232 रामजीवण के नाम खातेदारी तत्पश्चात् अप्रार्थीगण के नाम आराजी ख0नं0 330/2 नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 अनुसार दर्ज हैं। भू-प्रबन्ध सम्वत् 2011-2030 में दर्ज गैर-मुमकिन नला आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। वरवक्त बहस विद्वान् राजकीय अभिभाषक ने विवादग्रस्त आराजी को नियमन/आवंटन तिथि को राजस्व अभिलेख में गैर-मुमकिन नला दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2011-2030 से होती है और इस आराजी का नियमन/आवंटन रामजीवण पुत्र रामचन्द्र, जाति-अहीर को किया गया है, की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल नामान्तरकरण सं0-232 ग्राम-गोहन्दी से होती है। विवादग्रस्त आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2064-2067 में निजी खातेदारी दर्ज है। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार बिना लगानी सिवायचक गैर-मुमकिन नला की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती



(Handwritten signature)

सत्य - प्रतिलिपि

(Handwritten mark)

अति. कलकत्ता (द्वितीय)

जयपुर

किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत गैर-मुमकीन नला भूमि का आवंटन कर खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण में एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार गैर-मुमकिन नला भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ है तो यह प्रभाव शून्य है। शून्य आधारित आदेश के विरुद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, फागी द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है और माननीय राज. उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खं0न0 आराजी खं0न0 330/2 रकबा 11 बिस्वा अप्रार्थीगण के नाम को निरस्त करने एवं इस नियमन/आवंटन के फलस्वरूप आवंटी के हक में दर्ज किये गये इन्द्राजात एवं निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस बिना लगानी सिवायचक गैर-मुमकीन नला दर्ज करने की राय से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकार को दिनांक 23.01.2018 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 30.10.2017 को सुनाया गया।



सत्य - प्रतिलिपि

अति. कलक्टर (द्वितीय)

(सुनील माटी)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर